सरकार बनाम भारत 1999/00003

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18-1-2022	लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप०/ वकील अप्रार्थीगण उप०/ दावा अवेटमेन्ट में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर		तारीख रजू	तारीख निर्णय
96/1999	दावा	9.4.2099	18.1.2022

सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी बनाम कासम वगैरा

प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.

प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकाम कार्यवाही

उपस्थित :– लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी मुकदमे मे प्रतिवादीगण कासम वगैरा की ओर से दिनांक 6.3.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा साक्ष्य वादी हेतु नियत है। इसमे प्रतिवादी संख्या 1 कासम का दिनांक 19.8.2010 को इंतकाल हो चुका है। जिसमे कायम मुकाम बनाये जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा कोई कार्यवाही आज तक नही की गई है। कानूनन दावा वादी अवैट हो चुका है। मृत्यु की तारीख से 90 दिनों के अंदर ही कायम मुकाम बनाये जा सकते है। दावा अवैट हो जाने पर 60 दिन मे उसे सैट असाईड कराने के लिए कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्यवाही वादी द्वारा नही की गई है और दिनांक 19.8.2010 से वादी द्वारा कोई साक्ष्य भी पेश नही की गई है। जबकि कासिम के वारिस हसन, निजाकत, शौकत, सामिद पुत्रान कासम व मु0 शाहिना, मौसिना पुत्रिया कासम व कासम की बेबा मु0 जरीना जाति मुसलमान निवासी जैतपुर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी अवैट फरमाते हुए खारिज फरमाया जावें।

इस प्रार्थना पत्र का वादी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से दिनांक 6.2.2018 को जबाब प्रस्तुत किया गया है। जिसमे यह अंकित किया गया है कि प्रस्तुत मामले मे प्रतिवादी संख्या 1 मृतक कासम के अलावा अन्य लोग भी प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार है। इसलिए कासम के मरने से दावा अवैट नही होता है। प्रस्तुत मामले मे राजहित निहित है। इसलिए मृतक के वारिसों को रिकार्ड पर लेने के लिए समय सीमा निर्धारित नही होती है। प्रस्तुत मामले मे मृतक के वारिसों की पूर्ण जानकारी नही होने के कारण कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सका है। इसके लिए कार्यवाही पृथक से शीघ्र ही की जावेगी।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

दिनांक 15.4.14 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 जा.दी. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण ने आदेश 22 नियम 10 ए जा. दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके जबाब बावत दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अप्रार्थी कासम का इंतकाल सन 2010 मे ही हो चुका है व उसके कायम मुकाम वारिसान को निर्धारित अवधि मे वादी द्वारा नही बनाया गया है। इस प्रकार दावा स्वतः ही अवैट हो जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब वादी की ओर से आज तक नही दिया गया है। इसलिए जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाकर दावा वादी अवैट शुमार फरमाते हुए खारिज फरमया जावें।

इस प्रार्थना पत्र का वादी लैण्ड होल्डर की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है।

दिनांक 3.8.2021 को लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके पत्रांक राजस्व/2021/1530 दिनांक 3.8.2021 प्रस्तुत किया। जिसमे उन्होने अंकित किया है कि श्रीमानजी के यहॉ विचाराधीन मुकदमा संख्या 96/99 सरकार बनाम कासम खॉ मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट उपरांत कायम मुकाम निम्नानुसार है– 1. हसन पुत्र कासम 2. निजाकत पुत्र कासम 3. शौकत पुत्र कासम 4. किसमत पुत्र कासम 5. सैयद पुत्र कासम 6. शायना पुत्री कासम 7. मौसिना पुत्री कासम 8. जरिना पत्नी कासम। उक्तानुसार रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा मे अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

इस पत्र का प्रतिवादीगण की ओर से जबाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि दरख्खात देहान्दा द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह विधि सम्मत नही है। कानून की निगाह मे इसे प्रार्थना पत्र भी नही कहा जा सकता है। दर0 देहान्दा ने इसके साथ अपना कोई शपथ पत्र भी पेश नही किया है एवं पूर्णतः कानून की अवहेलना की है। न्यायालय मे प्रतिवादीगण कासम वगैरा की ओर से दिनांक 6.3.2012 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी के तहत पेश किया गया था उसक प्रार्थना पत्र मे कासम मे मृत्यु दिनांक 19.8.2010 बतायी गई थी एवं उसके वारिसों के नाम भी बताये गये थे। इसके उपरांत भी वादी तहसीलदार ने इसका जबाब फरवरी 2018 मे पेश किया। जिसमे तहसीलदार जी यह फरमाते है कि कायम मुकाम की जानकारी नही होना दर्शाते हैं जबकि दिनांक 6.3.2012 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मृतक के वारिसों को दर्शा दिया गया था। इस प्रकार कायम मुकाम का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नही है। तहसीलदार जी ने अपने जबाब मे यह अंकित किया है कि कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने की कोई सीमा नही होती है। इसके हिसाब से तो तहसीलदार जी के लिए मियाद अधिनियम अलग से बनाना

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

चाहिए था। कानूनन दावा अवैट हो चुका है। मृत्यु की तारीख से 90 दिन के भीतर कायम मुकाम बनाये जा सकते है। इसके बाद दावा स्वतः ही अवैट हो जाता है। उस अवैटमेन्ट को सेट असाईड करने के लिए 60 दिन मे कार्यवाही की जा सकती है जो मियाद अधिनियम के आर्टिकल 120, 121 मे निर्धारित है। इस सम्पूर्ण तथ्य अदालत की पत्रावली मे मौजूद होने के बावजूद भी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने दिनांक 3.8.2021 को प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया है। दिनांक 15.4.2014 को वादी का जबाब बंद करने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया जा चुका है। जिसका भी उन्होने कोई जबाब नही दिया है। विधि अनुसार सम्पूर्ण दावा स्वतः ही अवैट हो चुका है जिस पर कोई कार्यवाही करने की गुंजाईश नही रहती है। कानून सबके लिए समान है। कानून से ऊपर कोई नही है। अतः प्रार्थना पत्र वादी खारिज फरमाते हुए दावा अवैट खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त तीनो प्रार्थना पत्रों पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने बहस करते हुए कहा कि कासम खॉ के मरने की जानकारी नही होने के कारण उसके वारिसों की जानकारी करने मे देरी हुई है। पटवारी हल्का से जानकारी होते ही 3.8.2021 को कासम के वारिसों की सूचना अदालत को दे दी गई है। मामले मे राजहित निहित है। मृतक के वारिसों को रिकार्ड पर लेने की कोई समय सीमा नही होती है। इसलिए मृतक के वारिसों को रिकार्ड पर लिया जाकर आगामी कार्यवाही फरमायी जावें।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 120 के तहत यह प्रावधान है कि मृत व्यक्ति के वारिसों को पक्षकार बनाने के लिए 90 दिन तथा धारा 121 के तहत अवैटमेन्ट को निरस्त कराने के लिए 60 दिन नियत है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 6.3.2012 को आदेश 22 नियम 10 ए सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अदालत को यह अवगत करा दिया गया था कि मुकदमे मे प्रतिवादी कासम की दिनांक 19.8.2010 को मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिस हसन, निजाकत, शौकत, सामिद, मु0 सायना, मौसीना, मु. जरीना है। इस सूचना के पश्चात भी वादी द्वारा नौ साल तक इसके वारिसों को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नही की गई। जबकि न्यायालय द्वारा भी वादी को समय समय पर इस सम्बन्ध मे लिखा जाता रहा है। जो न्यायालय की आदेशिका से भी स्पष्ट है। लिमिटेशन एक्ट मे जो प्रावधान निर्धारित किये हुए है उनमे किसी को छूट नही दी हुई है। चाहे कोईसा भीपक्ष हो।सूचना के नौ साल के बाद भी वारिसों को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नही करना और बाद मे यह कहना कि इसमे राजहित निहित है इसलिए वारिसों को रिकार्ड पर लेने की समय सीमा निर्धारित नही है,

जिला कलेक्टर
र सिटी (स०मा०)

न्याय के लिए निर्धारित सिद्धान्तो का मजाक उडाना है। वादी ने जो प्रार्थना पत्र दिनांक 3.8.21 को प्रस्तुत किया है। वह अपने आप में प्रार्थना पत्र नही है बल्कि न्यायालय को लिखा गया एक पत्र है। इसके साथ वादी ने कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। वादी का दावा अवेट हो चुका है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 6.3.2012 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 ए सी0पी0सी0 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अपने कर्त्वयों का पालन करते हुए प्रतिवादी कासम के मरने की सूचना न्यायालय को दे दी थी और इस प्रार्थना पत्र मे मृतक कासम के वारिसों का भी उल्लेख कर दिया था। इसके पश्चात भी वादी द्वारा नौ साल के पश्चात पत्र के रूप मे 3.8.21 को कासम के वारिसों की सूचना दी गई है और इसमे भी यह कही उल्लेख नही किया गया है कि मृतक कासम के वारिसों को रिकार्ड पर लिया जावे। वादी ने मात्र उसके वारिसों का विवरण देते हुए यह पत्र प्रस्तुत किया है जो किसी भीप्रकार से मृतक के वारिसों को रिकार्ड पर लेने के प्रार्थना पत्र की परिभाषा मे नही आता है। इसके अतिरिक्त वादी ने अपना देरी के सम्बन्ध मे कारण बताते हुए कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार वादी ने मृतक कासम के वारिसों को रिकार्ड पर लाने के लिए भारी लापरवाही बरती है। और इसके कारण दावा अवैट हो रहा है। लिमिटेशन एक्ट मे भी ऐसा कोई प्रावधान नही है। जिसमे सरकार को प्रावधानें से छूट दी जावे। ऐसी स्थिति मे यह दावा अवेटमेन्ट की श्रेणी मे आता है। दावा के अवेटमेन्ट को माफ करने के लिए वादी ने कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया है। फलस्वरूप वादी का दावा अवेट किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा अवेट हो जाने के कारण अवेटमेन्ट मे खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.1.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)